International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 30489458

हिसार मंडल में ग्रामीण महिलाओं के आय–स्रोतों में परिवर्तनः 2014 से 2024 का तुलनात्मक अध्ययन

दीपक दलाल
शोधार्थी, भूगोल विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

(डॉ.) अतर सिंह
प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

शोध सार

यह शोध–पत्र हरियाणा के हिसार मंडल के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आय–स्रोतों में वर्ष 2014 से 2024 के बीच आए परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि ग्रामीण महिलाएँ किस प्रकार पारंपरिक कृषि–आधारित आजीविका से आगे बढ़कर नौकरी/सेवा, स्व–रोजगार, लघु उद्योग, स्व–सहायता समूहों तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से आय–विविधीकरण कर रही हैं। शोध में प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित आँकड़ों के माध्यम से गाँव–स्तर पर आय–स्रोतों में बदलाव, कृषि तथा मजदूरी में सहभागिता, तथा रोजगार संरचना में उभरते रुझानों की पहचान की गई है। 2014 एवं 2024 के तुलनात्मक आँकड़े यह संकेत देते हैं कि नौकरी/सेवा तथा वैकल्पिक आजीविका स्रोतों की ओर झुकाव बढ़ा है, जबकि कृषि आय का स्वरूप कुछ क्षेत्रों में स्थिर या सीमित परिवर्तन के साथ दिखाई देता है। अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि शिक्षा, कौशल, डिजिटल–बैंकिंग पहुँच,`भ्ळ नेटवर्क और योजनागत समर्थन जैसे कारक महिलाओं की आर्थिक सक्रियता को बढ़ाते हैं, वहीं सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिबंध, संसाधन सीमाएँ और निर्णय–निर्माण में बाधाएँ पूर्ण सशक्तिकरण को सीमित करती हैं।

मुख्य शब्दः ग्रामीण महिलाएँ, आय–स्रोत, हिसार मंडल, आर्थिक सहभागिता, रोजगार विविधीकरण, वित्तीय समावेशन

परिचय

ग्रामीण समाज की संरचना को समझने के लिए उसके आर्थिक जीवन का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक क्रियाएँ ही किसी भी समाज के जीवन स्तर, सामाजिक संबंधों, भूमिका वितरण तथा विकास की दिशा को निर्धारित करती हैं। आर्थिक जीवन केवल आय और व्यय की गणना मात्र नहीं है, बल्कि यह उस समुदाय की जीविका, संसाधनों की उपलब्धता, श्रम विभाजन, उत्पादन प्रणाली, संपत्ति का वितरण, उपार्जन के साधन और उपभोग की प्रवृत्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीण समाज की महिलाओं की आर्थिक भूमिका, पारंपरिक भूमिकाओं से लेकर आधुनिक स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन, लघु उद्योगों, सरकारी योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूहों तक फैली हुई है। इस अध्याय के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के आय स्रोतों, कृषि एवं मजदूरी में सहभागिता, स्वरोजगार और लघु उद्योगों में भागीदारी, आर्थिक स्वतंत्रता, घरेलू आर्थिक निर्णयों में भागीदारी, महिला स्वयं

सहायता समूहों (SHG) की भूमिका, बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच और ऋण उपयोगिता जैसे पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया है। विशेषकर वर्तमान सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की आर्थिक भूमिका को बढ़ती हुई जिम्मेदारियों, शिक्षात्मक जागरूकता, योजनाओं की पहुँच और आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में देखा जा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार ग्रामीण महिलाएँ पारंपरिक आर्थिक भूमिकाओं से बाहर आकर परिवार की आय में सहयोगी भूमिका निभा रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक निर्णयों में अपनी भागीदारी स्थापित कर रही हैं। साथ ही यह अध्याय यह भी विश्लेषण करता है कि किन सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या संरचनात्मक कारकों के कारण अब भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाई है। अतः यह अध्याय ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक जीवन की वास्तविकताओं को आँकड़ों, साक्षात्कारों, तालिकाओं तथा नीतिगत विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे न केवल वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके, बल्कि भविष्य के लिए समावेशी एवं व्यवहारिक नीतियों की दिशा भी तय की जा सके।

महिलाओं की आय के स्रोत

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती रही हैं, परंतु वर्तमान समय में उनके आय के स्रोतों में विविधता आई है और वे परिवार की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान देने लगी हैं। महिलाओं की आय के प्रमुख स्रोतों में कृषि कार्य, पशुपालन, मजदूरी, घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प, दूध बेचने जैसी गतिविधियाँ प्रमुख हैं। अनेक महिलाएँ खेतों में पुरुषों के साथ हल जोतने, बुवाई, कटाई और सिंचाई जैसे कार्यों में भाग लेती हैं और उन्हें इसके बदले मजदूरी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी कार्य करके भी महिलाएँ आय अर्जित कर रही हैं। कई ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर पापड़, अचार, अगरबत्ती, सिलाई, कढ़ाई जैसे लघु घरेलू उद्योगों में भी सक्रिय हैं, जिससे उन्हें स्वावलंबी बनने का अवसर मिला है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएँ मछली पालन, पत्तल दोना निर्माण, ब्यूटी पार्लर संचालन, या दूध विक्रय जैसे लघु व्यवसायों के माध्यम से भी आय अर्जित कर रही हैं। महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता में वृद्धि के साथ–साथ डिजिटल लेनदेन और बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुँच ने उनके आर्थिक जीवन को नई दिशा दी है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के माध्यम से भी उन्हें आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है। इस प्रकार, आज ग्रामीण महिला केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक एवं सहयोगी आर्थिक इकाई बन चुकी है, जो परिवार और समाज की आर्थिक सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी महिलाओं को सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रहा है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 30489458

तालिका 1: *चयनित गाँवों में महिलाओं की आय के प्राथमिक स्रोत (खेती, नौकरी आदि), 2014 एवं 2024*

चयनित ग्राम	चयनित परिवारों की संख्या	2014				2024			
		खेती से आय		नौकरी से आय		खेती से आय		नौकरी से आय	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
असमाइलपुर	44	20	45.45	24	54.55	18	40.91	26	59.09
बरसोला	88	30	34.09	58	65.91	50	56.82	38	43.18
पंडरी	36	15	41.67	21	58.33	10	27.78	26	72.22
कसमपुर	29	12	41.38	17	58.62	9	31.03	20	68.97
जोत्तांवाली	63	28	44.44	35	55.56	35	55.56	28	44.44
डमेदपुरा	83	33	39.76	50	60.24	45	54.22	38	45.78
चूली खुर्द	64	25	39.06	39	60.94	18	28.13	46	71.88
हजमपुर	93	40	43.01	53	56.99	30	32.2	63	67.74
कुल	500	203	328.8	297	471.1	215	326.65	285	473.3

स्रोतः शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आँकड़ों पर आधारित

हिसार मण्डल के आठ चयनित गाँवों के आँकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच महिलाओं की आय के प्राथमिक स्रोतों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विशेष रूप से खेती की अपेक्षा नौकरी (सरकारी, निजी या स्वरोजगार) से आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण का संकेत है। वर्ष 2014 में कुल 500 कार्यरत महिलाओं में से 328.8 (203 महिलाएँ – 40.76%) की आय का स्रोत खेती था, जबकि 471.1 (297 महिलाएँ – 59.24%) की आय नौकरी या सेवा से जुड़ी थी। वहीं 2024 तक खेती से आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या हल्के अंतर के साथ 326.65 (215 महिलाएँ – 43%) पर पहुँच गई, जबकि नौकरी से आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 473.3 (285 महिलाएँ – 57%) हो गई। ग्राम स्तर पर भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई। उदाहरणतः असमाइलपुर (हिसार) में 2014 में महिलाओं की आय का अधिकांश भाग नौकरी (54.55%) से था, जो 2024 में और बढ़कर 59.09% हो गया। चूली खुर्द में नौकरी से आय 2014 में 60.94% थी जो 2024 में बढ़कर 71.88% तक पहुँच गई। पंडरी

(फतेहाबाद) और हजमपुर (हिसार) जैसे गाँवों में भी खेती की तुलना में नौकरी से आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि कुछ गाँवों जैसे जोत्तांवाली (सिरसा) और डमेदपुरा में यह अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर रहा, परंतु अधिकांश ग्रामों में नौकरी या स्वरोजगार महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक और उपलब्ध विकल्प बनकर उभरे हैं। इस बदलाव के पीछे कई प्रमुख कारण हैं: महिला शिक्षा के स्तर में सुधार, सरकारी योजनाओं के तहत महिला रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा और खेती की अनिश्चितताओं एवं आर्थिक अस्थिरता से बचने की प्रवृत्ति। निष्कर्षतः, यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि हिसार मण्डल की ग्रामीण महिलाएँ अब परंपरागत कृषि कार्यों से बाहर निकलकर आधुनिक आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार, निजी सेवाओं और अन्य वैकल्पिक माध्यमों से आय अर्जित कर रही हैं। यह न केवल उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक समानता की दिशा में भी एक प्रभावशाली प्रगति का प्रतीक है।

तालिका 2: *हिसार मण्डल में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, 2024*

जिला	आर्थिक सहभागिता संख्या	आर्थिक सहभागिता प्रतिशत
जींद	103	20.60
हिसार	116	23.20
फतेहाबाद	124	24.80
सिरसा	157	31.40
कुल (हिसार मण्डल)	500	100

स्रोतः शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आँकड़ों पर आधारित

मानचित्र 1: *हिसार मण्डल में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, 2024*

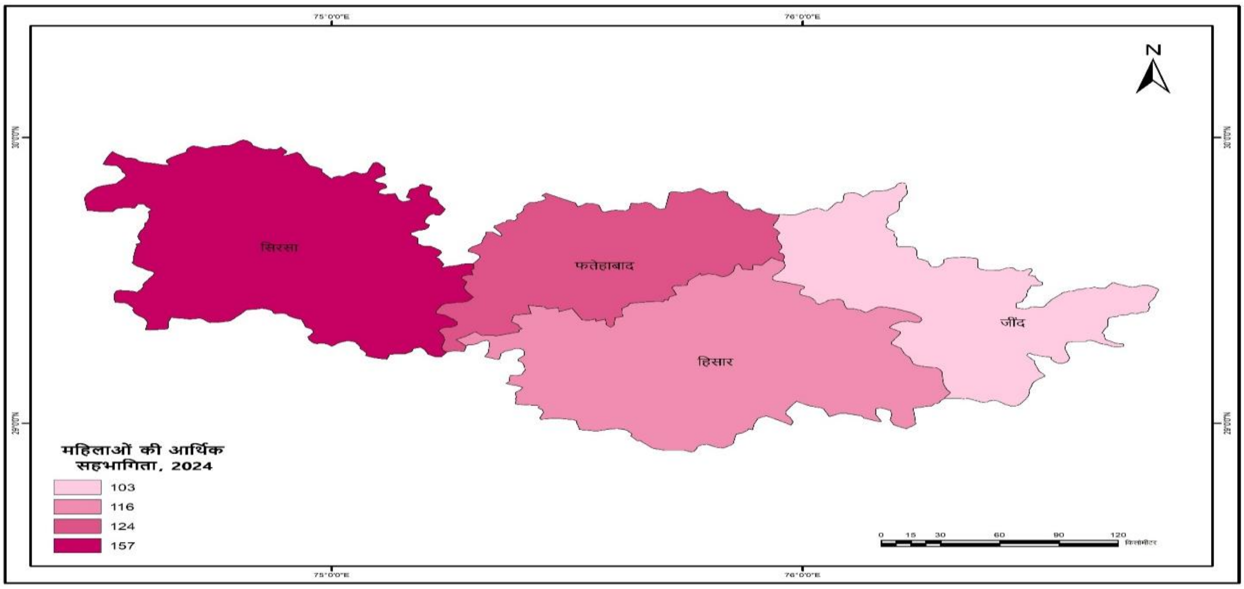

स्रोतः शोधार्थी द्वारा QGIS की सहायता से निर्मित तथा तालिका 2 पर आधारित

हिसार मण्डल में वर्ष 2024 के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं की आर्थिक सहभागिता का विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न जिलों में उनकी भागीदारी में अंतर है। जींद जिले में 124 महिलाएँ (24.8%) आर्थिक गतिविधियों में शामिल रही, जबकि हिसार जिले में यह संख्या 157 महिलाएँ (31.4%) रही, जो मण्डल में सबसे अधिक है। फतेहाबाद जिले में 103 महिलाएँ (20.6%) और सिरसा जिले में 116 महिलाएँ (23.2%) आर्थिक गतिविधियों में सहभागी रही। कुल मिलाकर, हिसार मण्डल में 500 महिलाएँ (100%) विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। यह डेटा मण्डल स्तर पर महिलाओं की आर्थिक सहभागिता और उनकी सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

कृषि कार्य से आय

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका का सबसे प्रमुख और पारंपरिक स्रोत कृषि कार्य है। अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ सीधे या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई हैं और खेतों में विभिन्न प्रकार के श्रम सघन कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, मंडाई, फसल की सफाई एवं भंडारण जैसे कार्यों में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये कार्य महिलाएँ पारिवारिक खेतों में निशुल्क श्रमिक के रूप में करती हैं या खेतिहर मजदूरी के रूप में दैनिक मजदूरी प्राप्त करती हैं। महिलाएँ खेतों में पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक कार्य करती हैं, विशेषकर धान रोपाई और कपास जैसी फसलों में उनका श्रम अधिक आवश्यक होता है। हालाँकि, उनका यह श्रम अक्सर अदृश्य और अवैतनिक माना जाता है, लेकिन जब वे अन्य के खेतों पर काम करती हैं, तो उन्हें नकद या अन्न के रूप में मजदूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ महिलाएँ फसल उपज को स्थानीय हाट–बाजार में बेचने के कार्य में भी भाग लेती हैं, जिससे वे सीधे आय अर्जित कर पाती हैं। बदलते समय में कृषिगत तकनीकों, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने से महिलाएँ अब खेती से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों जैसे जैविक खेती, बीज उत्पादन, पौधशाला संचालन आदि की ओर भी अग्रसर हो रही हैं। इस प्रकार, कृषि कार्य न केवल महिलाओं की आय का स्थायी स्रोत है, बल्कि यह उन्हें परिवार की आर्थिक संरचना में सक्रिय और आत्मनिर्भर भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करता है।

पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण महिलाओं की आय का एक महत्वपूर्ण और परंपरागत स्रोत है, जो उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत् आजीविका का माध्यम प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ गाय, भैंस, बकरी आदि का पालन कर न केवल अपने परिवार की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, बल्कि अतिरिक्त दुग्ध उत्पादों को बाजार में बेचकर आय भी अर्जित करती हैं। दुग्ध उत्पादन से प्राप्त दूध, दही, घी, मट्ठा जैसे उत्पादों का विक्रय स्थानीय स्तर पर या दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जाता है, जिससे नियमित आय प्राप्त होती है। महिलाएँ प्रायः पशुओं के चारे–पानी की व्यवस्था, सफाई, दुग्ध दोहन,

रोगों की देखभाल और दवाई देने जैसे कार्यों को दक्षता से करती हैं। कई क्षेत्रों में महिलाएँ डेयरी समितियों या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को एक संगठित व्यापार के रूप में संचालित कर रही हैं। कुछ महिलाएँ घर के पास ही छोटे स्तर पर डेयरी खोलकर भी स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालन से संबंधित योजनाओं जैसे पशु बीमा योजना, डेयरी विकास योजना और NABARD के तहत ऋण सुविधा का लाभ उठाकर महिलाएँ अब पशुपालन को केवल पारंपरिक कार्य नहीं, बल्कि लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपना रही हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति के रूप में उभर रही हैं। इस प्रकार, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ने ग्रामीण महिलाओं को अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ–साथ आर्थिक योगदान देने का सशक्त मंच प्रदान किया है, जो उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता की ओर अग्रसर करता है।

मनरेगा एवं सरकारी मजदूरी कार्य

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसी सरकारी योजनाएँ ग्रामीण महिलाओं के लिए एक स्थायी और सशक्त आय का माध्यम बनकर उभरी हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ गाँव में उपलब्ध सार्वजनिक कार्यों में श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त करती हैं, जिनमें सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, नरेगा पार्क, जल संरक्षण, सिंचाई नहर निर्माण, वृक्षारोपण, शौचालय निर्माण आदि कार्य प्रमुख हैं। इस योजना ने विशेष रूप से उन महिलाओं को लाभ पहुँचाया है जो अशिक्षा, सीमित संसाधनों या पारिवारिक बाध्यताओं के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में काम नहीं कर सकतीं। मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को नियत दर से दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है, जो उनके पारिवारिक व्यय, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति में सहायक होती है। इस योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान और आत्मसम्मान भी प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, कई महिलाएँ ग्राम पंचायत, स्कूल भवन मरम्मत, पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे स्थानीय स्तर पर सरकारी मजदूरी कार्यों में भी संलग्न रहती हैं। इससे उनके रोजगार के अवसर उनके ही गाँव में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार और बच्चों की देखरेख के साथ–साथ काम करने की सुविधा मिलती है। मनरेगा ने महिलाओं के भीतर आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता और अधिकारों के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा दिया है। साथ ही, इससे लैंगिक समानता को बल मिला है क्योंकि पुरुषों के समान ही महिलाएँ भी मजदूरी कार्यों में भागीदारी कर रही हैं। इस प्रकार मनरेगा और अन्य सरकारी मजदूरी कार्य ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुए हैं।

घरेलू लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प

ग्रामीण महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता के सशक्त माध्यमों में घरेलू लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प का विशेष स्थान है। इन कार्यों में महिलाएँ पारंपरिक और सांस्कृतिक दक्षताओं के

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 30489458

आधार पर घर बैठे छोटे स्तर पर उत्पादन करती हैं, जिससे वे घरेलू दायित्वों के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों में भी भाग ले पाती हैं। अचार, पापड़, अगरबत्ती, मुरब्बा, मसाले, सत्तू, साबुन, देसी घी आदि जैसे उत्पादों का निर्माण तथा उनका स्थानीय बाजार में विक्रय महिलाओं के लिए एक सहज और प्रभावशाली आय का स्रोत बन चुका है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण महिलाएँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया कार्य, चटाई एवं टोकरियाँ बनाना, राखी एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण जैसी पारंपरिक हस्तशिल्प गतिविधियों में भी संलग्न होती हैं। यह न केवल उनके कौशल का उपयोग करता है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से लघु व्यवसायी बनने का अवसर देता है। कई महिलाएँ अब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक उत्पादन इकाइयाँ चलाकर अपने उत्पादों को मेले, प्रदर्शनियों, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच रही हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण, बीज पूँजी और विपणन सहायता प्रदान करने से इनके कार्य को संस्थागत और व्यावसायिक रूप मिलने लगा है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक पहचान, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, घरेलू लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प कार्य महिलाओं के लिए स्वावलंबन का एक प्रभावी मार्ग बन चुका है, जहाँ वे पारंपरिक ज्ञान को आर्थिक शक्ति में परिवर्तित कर रही हैं। यह क्षेत्र आज ग्रामीण महिला उद्यमिता का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये समूह 10 से 20 महिलाओं के छोटे संघ होते हैं, जो आपसी सहयोग, बचत और ऋण प्रणाली के आधार पर संचालित होते हैं। महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव उन्हें न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, बल्कि उन्हें एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक निर्णयों में भाग लेने का आत्मविश्वास भी देता है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ नियमित रूप से छोटी–छोटी राशि बचाकर सामूहिक निधि तैयार करती हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सदस्य ऋण लेकर घरेलू कार्य, स्वरोजगार, पशुपालन, सिलाई, दुकानदारी या छोटे व्यापार शुरू कर सकती हैं। यह प्रक्रिया न केवल उन्हें साहूकारों और उच्च ब्याज दर वाले ऋण से मुक्ति दिलाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करती है। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ने का भी माध्यम बनते हैं, जिससे उन्हें प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट और बैंकों से आसान ऋण जैसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इन समूहों में महिलाएँ नेतृत्व, लेखा जोखा, निर्णय निर्माण और टीम वर्क जैसे गुणों का भी विकास करती हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामाजिक मुद्दों जैसे बाल–विवाह, घरेलू–हिंसा, स्त्री–शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करता है। कई स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत, आँगनवाड़ी और अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर ग्राम विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार, स्वयं सहायता समूहों

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 30489458

से जुड़ाव ने ग्रामीण महिलाओं को एक नई पहचान, आर्थिक संबल और सामाजिक सम्मान प्रदान किया है। ये समूह आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के सबसे प्रभावशाली उपकरणों में से एक बन चुके हैं।

कृषि एवं मजदूरी में सहभागिता

ग्रामीण महिलाओं की कृषि एवं मजदूरी में सहभागिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। पारंपरिक रूप से महिलाएँ कृषि कार्यों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, किंतु उन्हें अक्सर ष्अदृश्य श्रमिकष के रूप में देखा जाता है। खेती के विभिन्न चरणों जैसे बुवाई, निराई, गुड़ाई, कटाई, धान कूटना, सब्जियों की रोपाई, खाद देना तथा जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये कार्य श्रमसाध्य होते हुए भी महिलाएँ पूर्ण समर्पण और दक्षता के साथ निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों के पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होती, वहाँ महिलाएँ दैनिक मजदूर के रूप में खेतों में कार्य करती हैं। इस प्रकार, वे खेतिहर मजदूरी, निर्माण कार्य, ईंट भट्ठों, सड़क निर्माण, एवं मनरेगा जैसे योजनाओं के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करती हैं। यह मजदूरी कार्य उनके परिवार की आय बढ़ाने, आर्थिक असुरक्षा को कम करने और जीवन निर्वाह के साधनों को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। कृषि में महिलाओं की सहभागिता केवल श्रम तक ही सीमित नहीं है, वे बीजों की संरक्षणकर्ता, खाद्य उत्पादन की योजनाकार और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्ष प्रबंधक भी हैं। हालाँकि, उन्हें आज भी कृषि निर्णयों, भूमि स्वामित्व और तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित रखा जाता है, जिससे उनकी भूमिका पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाती। फिर भी, बदलते सामाजिक परिवेश और सरकारी योजनाओं के सहयोग से अब महिलाएँ कृषि सहकारी समितियों, महिला कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। इस प्रकार, महिलाओं की कृषि एवं मजदूरी में सहभागिता केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं बल्कि सामाजिक पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अब अनदेखा नहीं किया जा सकता।

तालिका 3: *चयनित गाँवों में खेती के विभिन्न कार्यों में महिलाओं की सहभागिता, 2014 एवं 2024*

चयनित ग्राम	चयनित परिवारों की संख्या	2014				2024			
		बुवाई		निराई		बुवाई		निराई	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
असमाइल पुर	44	20	45.45	24	54.54	18	40.9	26	59.09
बरसोला	88	39	44.31	49	55.68	52	59.09	36	40.9
पंडरी	36	17	47.22	19	52.77	21	58.33	15	41.66

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 30489458

कसमपुर	29	13	44.82	16	55.17	11	37.93	18	62.06
जोत्तांवाली	63	28	44.44	35	55.55	34	53.96	29	46.03
डमेदपुरा	83	38	45.78	45	54.21	44	53.01	39	46.98
चूली खुर्द	64	29	45.31	35	54.68	35	54.68	29	45.31
हजमपुर	93	41	44.08	52	55.91	53	56.98	40	43.01
कुल	500	226	45.2	274	54.8	281	56.2	219	43.8

स्रोतः शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आँकड़ों पर आधारित

हिसार मण्डल के आठ चयनित गाँवों में महिलाओं की कृषि कार्यों में सक्रियता का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच महिलाओं की खेती से जुड़ी भूमिकाओं में आंशिक लेकिन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से बुवाई में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि देखी गई है, जबकि निराई जैसे श्रमप्रधान कार्यों में उनकी भागीदारी में मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2014 में कुल 500 सक्रिय महिलाओं में से 45.2% (226 महिलाएँ) बुवाई कार्यों में संलग्न थीं, जबकि 54.8% (274 महिलाएँ) निराई में। वहीं 2024 में बुवाई में सहभागिता बढ़कर 56.2% (281 महिलाएँ) हो गई और निराई में घटकर 43.8% (219 महिलाएँ) रह गई। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि अब महिलाएँ खेत की शुरुआत से जुड़े कार्यों में अधिक भागीदारी कर रही हैं, जो उनके निर्णयात्मक योगदान और तकनीकी समझ के विस्तार की ओर संकेत करता है। ग्राम स्तर पर विश्लेषण करें तो असमाइलपुर (हिसार) में बुवाई में भागीदारी 45.45% से घटकर 40.9% रह गई, जबकि निराई में 54.54% से बढ़कर 59.09% हो गई यहाँ विपरीत प्रवृत्ति दिखती है। बरसोला (जींद) में बुवाई में भागीदारी 44.31% से बढ़कर 59.09% हो गई, जो उल्लेखनीय है। कसमपुर (फतेहाबाद) और डमेदपुरा (सिरसा) जैसे गाँवों में निराई की अपेक्षा बुवाई में भागीदारी कम रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में परंपरागत भूमिकाएँ अब भी कायम हैं। वहीं चूली खुर्द और हजमपुर जैसे गाँवों में बुवाई और निराई के प्रतिशत लगभग संतुलित रहे हैं, जो समविभाजित श्रम सहभागिता को दर्शाते हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि महिलाओं की खेती में भूमिका अब केवल श्रम आधारित नहीं रही, बल्कि तकनीकी और उत्पादन से जुड़ी प्रारंभिक गतिविधियों में भी उनकी उपस्थिति बढ़ी है। संभवतः इसमें सरकारी कृषि योजनाओं, महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित कृषि उन्नयन अभियानों की भी भूमिका रही है। निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि हिसार मण्डल की ग्रामीण महिलाएँ अब खेती के बुनियादी एवं

निर्णयात्मक कार्यों में पहले से अधिक जुड़ाव रख रही हैं। जहाँ 2014 में वे अधिकतर निराई जैसे श्रम प्रधान कार्यों तक सीमित थीं, वहीं 2024 तक वे बुवाई जैसे प्रारंभिक व महत्त्वपूर्ण कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाने लगी हैं। यह कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और योगदान को रेखांकित करता है, जिसे आगे और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

तालिका 4: *हिसार मण्डल में महिलाओं की कृषि सहभागिता, 2024*

जिला	कृषि सहभागिता संख्या	कृषि सहभागिता प्रतिशत
जींद	104	20.80
हिसार	117	23.40
फतेहाबाद	123	24.60
सिरसा	156	31.20
कुल (हिसार मण्डल)	500	100

स्रोतः शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आँकड़ों पर आधारित

मानचित्र 2: *हिसार मण्डल में महिलाओं की कृषि सहभागिता, 2024*

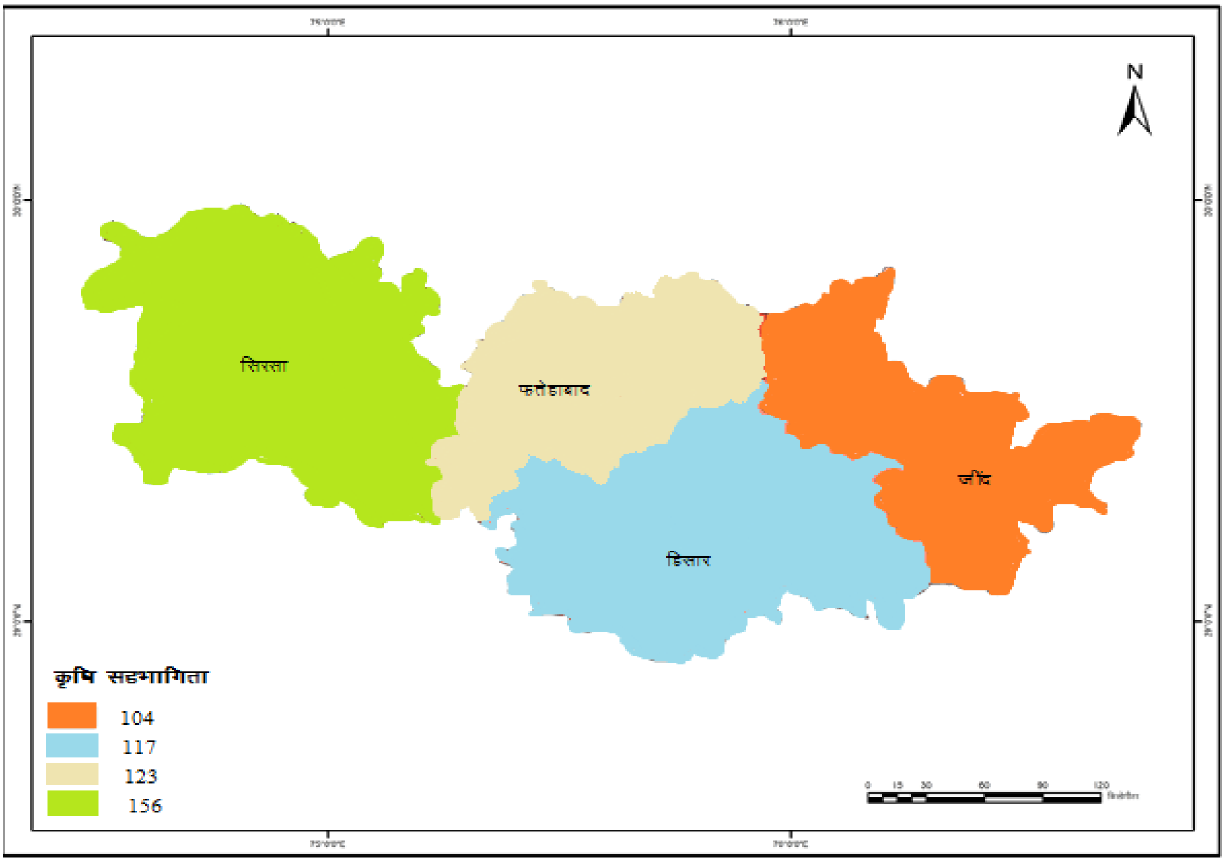

स्रोतः शोधार्थी द्वारा QGIS की सहायता से निर्मित तथा तालिका 4.4 पर आधारित

हिसार मण्डल में वर्ष 2024 के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं की कृषि गतिविधियों में सहभागिता का विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न जिलों में उनकी भागीदारी में भिन्नता है। जींद जिले में 123 महिलाएँ (24.6%) कृषि कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही, जबकि हिसार जिले में यह संख्या 156 महिलाएँ (31.2%) रही, जो मण्डल में सबसे अधिक है। फतेहाबाद जिले में 104 महिलाएँ (20.8%) और सिरसा जिले में 117 महिलाएँ (23.4%) कृषि गतिविधियों में सहभागी रही। कुल मिलाकर, हिसार मण्डल में 500 महिलाएँ (100%) कृषि कार्यों में सक्रिय हैं। यह डेटा मण्डल स्तर पर महिलाओं की कृषि सहभागिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष:

अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हिसार मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014 से 2024 के बीच महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं आय–स्रोतों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पारंपरिक रूप से कृषि एवं घरेलू कार्यों तक सीमित ग्रामीण महिलाएँ अब नौकरी, स्व–रोजगार, लघु उद्योग, स्व–सहायता समूहों तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण संकेतक है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, डिजिटल लेन–देन, स्व–सहायता समूहों की भागीदारी तथा सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा) ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार के विविध अवसरों के कारण महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है तथा वे परिवार के आर्थिक निर्णयों में भी अधिक प्रभावी रूप से भाग लेने लगी हैं। हालाँकि, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिबंध, सीमित संसाधन, भूमि स्वामित्व की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव तथा वित्तीय जागरूकता की कमी जैसे कारक अभी भी ग्रामीण महिलाओं के पूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः आवश्यक है कि महिला शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सहभागिता में हो रहा यह परिवर्तन न केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति का संकेत है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास एवं सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यदि उचित नीतिगत समर्थन एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक विकास की सशक्त प्रेरक शक्ति के रूप में उभर सकती हैं।

संदर्भ सूची:–

1. अग्रवाल, बीना. (2006). *महिलाएँ और भूमि अधिकार.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। (पृ. 102–118)
2. पाण्डेय, वी. (2017). *ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण.* वाराणसी: आनंद प्रकाशन। (पृ. 45–58)

3. सिंह, रेखा. (2014). *भारत में महिला स्वरोजगार की स्थिति.* पटनाः प्रकाश विद्या भवन। (पृ. 60–72)
4. यादव, सी. पी. (2010). *महिला एवं ग्रामीण विकास.* जयपुरः राज पब्लिकेशन्स। (पृ. 110–128)
5. मिश्रा, किरण. (2019). *स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण.* दिल्लीः ज्ञानोदय प्रकाशन। (पृ. 33–49)
6. वर्मा, संगीता. (2016). *ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भूमिका.* लखनऊः साहित्य भवन। (पृ. 84–97)
7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2020). *वार्षिक रिपोर्ट 2019–20.* नई दिल्लीः भारत सरकार। (पृ. 88–104)
8. शर्मा, मोना. (2018). *महिला सशक्तिकरणः सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण.* भोपालः भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद। (पृ. 119–131)
9. त्रिपाठी, राजेश. (2015). *भारत में महिला उद्यमिता.* इलाहाबादः राम प्रकाशन। (पृ. 54–67)
10. सक्सेना, मीना. (2013). *ग्रामीण महिला और विकास.* नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन। (पृ. 70–85)
11. सिंह, अर्चना. (2021). *हरियाणा में महिला श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन.* कुरुक्षेत्रः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकाशन। (पृ. 112–129)
12. कुमार, नरेश. (2011). *ग्रामीण विकास और महिला भागीदारी.* चंडीगढ़ः हरियाणा साहित्य अकादमी। (पृ. 94–106)